भारत सरकार
भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय
भारी उद्योग विभाग

राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1970
जिसका उत्तर बुधवार 2 अगस्त, 2017 को दिया जाना है

देश की पहली मल्टी-मोडल इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना का प्रारंभ

1970. श्री संजय सेठ:

क्या भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वाणिज्यिक उद्देश्य से उपयोग किये जाने वाले टैक्सी, ऑटो रिक्शा और बसों जैसे इलेक्ट्रिक वाहनों हेतु परमिट की आवश्यकता नहीं होती है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने यात्रियों को लाने-ले जाने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए देश की पहली मल्टी-मोडल इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना प्रारम्भ की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार दो लाख इलेक्ट्रिक बसों को लाने हेतु जापान सॉफ्ट बैंक ग्रुप जैसे अभिकरणों से सस्ती ब्याज दरों पर ऋण प्राप्त करने के लिए विकल्पों का पता लगा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) बिजली तथा अन्य वैकल्पिक ईंधन पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
भारी उद्योग और लोक उद्यम राज्य मंत्री
(श्री बाबुल सुप्रियो)

(क): जी, हां।

(ख): उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ): जी, नहीं। भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने यात्रियों को लाने-ले जाने हेतु इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए कोई मल्टी-मोडल इलेक्ट्रिक व्हीकल परियोजना प्रारंभ नहीं की है।

(ङ): जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

(च): इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग विभाग, भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय ने 01 अप्रैल, 2015 से एक स्कीम नामतः फेम-इंडिया [भारत में (हाइब्रिड और) इलेक्ट्रिक वाहनों का तीव्र अंगीकरण और विनिर्माण] प्रारंभ की है जिसका उद्देश्य आत्मनिर्भरता प्राप्त करने हेतु हाइब्रिड/इलेक्ट्रिक वाहन बाजार विकसित करने तथा इसके पारिस्थितिकी-तंत्र की सहायता करना है।

इस स्कीम के तहत उद्देश्य सभी वाहन सेगमेन्टों अर्थात् दुपहिया, तिपहिया ऑटो, चौपहिया वाहनों, हल्के वाणिज्यिक वाहनों और बसों को प्रोत्साहन देकर मांग प्रोत्साहन के माध्यम से बाजार सृजन करना है। व्यापक अंगीकरण हेतु क्रेताओं (अंतिम प्रयोक्ता/उपभोक्ता) के लिए मांग प्रोत्साहन अग्रिम तौर पर घटाए गए क्रय मूल्य के रूप में उपलब्ध है।

इलेक्ट्रिक/हाइब्रिड वाहनों के क्रय के लिए इस स्कीम के तहत अनुमत विस्तृत मांग प्रोत्साहन का ब्यौरा फेम इंडिया स्कीम की राजपत्र अधिसूचना के **अनुबंध 13** में दिया गया है, जो भारी उद्योग विभाग की वेबसाइट (www.dhi.nic.in) पर उपलब्ध है।

इसके अलावा, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने बिजली तथा अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर चलने वाले वाहनों को बढ़ावा देने हेतु विभिन्न मानकों के लिए कुछेक अधिसूचनाएं जारी की हैं जिनका ब्यौरा निम्नानुसार है:-

(i) फ्लेक्स-ईंधनों (ई 85) अथवा (ई 100) तथा एथनॉल (ईडी 95) वाहनों के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानकों के बारे में जी.एस.आर. 682(ई) दिनांक 12/07/2016
(ii) बायोडीजल के बारे में जी.एस.आर. 412(ई) दिनांक 11.04.2016
(iii) धुँआ परीक्षण और बायो सीएनजी के बारे में जी.एस.आर. 498(ई) दिनांक 16.06.2015
(iv) हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों की रिट्रोफिटमेन्ट के बारे में जी.एस.आर. 629(ई) दिनांक 24.06.2016
(v) एलएनजी के लिए सामूहिक उत्सर्जन मानकों के बारे में जी.एस.आर. 643(ई) दिनांक 27.06.2017

******